न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

मांगरोल जिला बारां
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 104/2012

रामस्वरूप पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां ...वादी

♠ बनाम ♠

1. सहायक आयुक्त जर्ये देवस्थान विभाग कोटा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांक: 05.07.2012
निर्णय दिनांक : 10.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कूण्डला में मन्दिर श्री चतुर्भुजी महाराज विराजमान के नाम खसरा नं0 18 की रकबा 2.82 है0 भूमि स्थित है, उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड हाल जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 में मंदिर श्री चतुर्भुज जी के नाम दर्ज है। वादी ग्राम कूण्डला में स्थित मंदिर को करीब 40–50 सालो से मंदिर की देखरेख तथा सेवा पूजा सेवा चाकरी आदि कार्य निरन्तर निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है लेकिन वादी का नाम उक्त जमाबंदी में नये व्यवस्थापक का नाम दर्ज नही होने से कभी भी राजनैतिक षडयंत्र के तहत मंदिर की सेवा पूजा से रोका जा सकता है। अतः वादी का नाम बतौर व्यवस्थापक ग्राम कूण्डला तहसील मांगरोल में स्थित भूमि खसरा नं0 18 की रकबा 2.82 है0 भूमि में जर्ये व्यवस्थापक रामस्वरूप मंदिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.07.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 की ओर से तहसीलदार मांगरोल लैण्ड होल्डर ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के सर्कुलर के अनुसार माफी मन्दिर एवं मूर्ति चुकि नाबालिग है। जिसके शास्वत अधिकार मंदिर में सुरक्षित रहने है। जिस पर किसी भी सूरत में इस प्रकार की मंदिर मूर्ति के टाईटल में पुजारी/सेवायत का नाम अंकित थे। मंदिर/मस्जिद के हितों के मद्यनजर राजस्व मण्डल अजमेंर के सर्कुलर की रोशनी में नाम हटाये थे। पुजारी/सेवादार के नाम के लिए एक पृथक से रजिस्टर जो तहसीलदार संधारित करेगा में लिखने के निर्देश थे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.09.2018 को वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन ने उन्ही तथ्यों का कथन किया है जो जिसका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है, प्रतिवादीगण की और से तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) मांगरोल द्वारा दिये गये तथ्यों के आधार पर वाद वादी कि प्रेयर "मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान साकिन देह खातेदार" के टाईटल के साथ वादी का नाम व्यवस्थापक दर्ज किया जावें, कत्तई विधि विरूद्ध होना एवं मंदिर मूर्ति नाबालिग खातेदार के हितो के विरूद्ध होना अंकित किया है। अतः वाद वादी विरूद्ध एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया ग